भारत सरकार

रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं.2021/सुरक्षा(अपराध)/41/एचआरसी/एमपी/04 नई दिल्ली, दिनॉक: 23/04/2021

कार्यालय आदेश

विषय:-रेलवे सुरक्षा बल की लापरवाही के कारण भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में।

संदर्भ:-मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग/भोपाल का पत्र सं.3940/3868/उज्जैन/पुलिस/19 दिनॉक: 04/02/2021 ।

***

उपर्युक्त आयोग के संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि एक बीमार यात्री को रे.सु.ब. जवानों ने ट्रेन से उतार कर स्टेशन पर छोड़ दिया। वह रात-भर रेलवे स्टेशन पर अकेला अचेत अवस्था में रहा जहां रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों के द्वारा उनको कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गई। फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यदि समय पर आरपीएफ/जीआरपी के जवानों द्वारा उक्त जरूरतमन्द व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी होती तो संभवत: उन्हे बचाया जा सकता था। इस तरह की घटनाए हमारी कार्यप्रणाली की कमियॉ और मानवीय संवेदनाओं तथा दायित्वों का लोप होना दर्शातीं हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते है:-

1. कोई भी बीमार रेलवे यात्री/व्यक्ति अगर रेलवे सुरक्षा बल कर्मी के संपर्क में आता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से अपने संबंधित वरीय अधिकारी को देते हुए स्टेशन मास्टर एवं राजकीय रेलवे पुलिस कर्मी को दी जानी चाहिए जिससे की उसको जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके तथा उसको नि: सहाय नहीं छोडा जाए ।
2. भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली तथा रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम 2020 में बीमार तथा घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधित प्रावधान उपलब्ध है जिससे सभी रे०सु०ब० कर्मियों को अवगत कराया जाए तथा उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए।
3. समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को विशेषकर रात्रि के समय ऐसे किसी बीमार या निसहाय व्यक्ति के प्रति सजग रहते हुए उसकी उचित मदद करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।
4. अपने कर्त्तव्य निर्वहन में रे.सु.ब. कर्मी संबंधित रेलवे पुलिस तथा स्टेशन प्रबंधक से उचित समन्वय रखकर कार्य करना सुनिश्चित करें।
5. रेलवे सुरक्षा बल के वरीय अधिकारी भी अपने अधीनस्थों को समय-समय पर जागरूक करें तथा अपने समकक्षीय राजकीय रेल पुलिस तथा वाणिज्य, परिचालन तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करें ताकि घायल व बीमार यात्री/व्यक्ति को रेल गाड़ियों, रेल अथवा रेल परिसर में समय पर चिन्हित कर समुचित इलाज हेतु निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जा सके।

2/--

6. इस प्रकार की घटनओं को अभिलिखित किया जाए और समय-समय पर सभी स्तरों पर समीक्षा की जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त, स्थानीय आवश्यक्ताओं के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की कोई बीमार/घायल यात्री अथवा व्यक्ति रेल गाडियों अथवा रेल परिसर में नि:सहाय न रह जाए और उन्हें समय पर उचित चिकित्सीय तथा अन्य सहायता दी जा सके।

23/4/21

(अरूण कुमार)
महानिदेशक/रे०सु०ब०
रेलवे बोर्ड।
टेली.न० 011-23387942
Email ID:-digrs@rb.railnet.gov.in
कमरा न० 440, चतुर्थ तल

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे०सु०ब०,
सभी क्षेत्रीय रेलें, रे०सु०वि०ब०, मेट्रो रेल/कोलकाता एवं कोंकण रेलवे,
सभी उत्पादक इकाइयाँ, कोर/प्रयागराज, निर्माण/उ०रे० एवं पू०त०रे०, अ०अ०मा०सं०/लखनऊ,
निदेशक/जगजीवन राम रे०सु०ब० अकादमी/लखनऊ,
निदेशक/रे०सु०ब० प्रशिक्षण केंन्द्र मौला-अली एवं खड़गपुर।